भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3766
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई की स्थिति और परिचालन प्रभावशीलता

3766. श्री राजेश वर्माः
श्री अरुण भारतीः
श्रीमती शांभवीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार में 2025-26 के कृषि मौसमों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की नामांकन स्थिति और परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है;
(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान बीमित ऋणी और गैर-ऋणी किसानों की कुल संख्या कितनी है और एकत्रित कुल प्रीमियम और बिहार राज्य को जारी की गई केंद्रीय सब्सिडी कितनी है;
(ग) इस अवधि के दौरान अनिश्चित वर्षा या बाढ़ के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले बिहार के किसानों को निपटान किए गए और वितरित किए गए फसल बीमा दावों का कुल मूल्य कितना है;
(घ) क्या सरकार ने बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों, विशेषकर खगड़िया और समस्तीपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में फसल कटाई प्रयोग करने या दावों का निपटान करने में बीमा कंपनियों द्वारा किसी विलंब का संज्ञान लिया है; और
(ङ) बिहार में क्षति के आकलन में तेजी लाने के लिए रिमोट सेंसिंग और ड्रोन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): देश में खरीफ 2016 से आरंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। बिहार सरकार ने वर्ष 2025-26 में इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।
